इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 5 मई 2011—वैशाख 15, शक 1933

खेल और युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2011

क्र. एफ-1-26-2010-नौ.—मध्यप्रदेश शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग के संकल्प क्रमांक एफ 1-26-2010-नौ, दिनांक 6 दिसम्बर 2010 के अंतर्गत पुर्नगठित मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज खेल मण्डल की धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डल, राज्य शासन के अनुमति से निम्नलिखित नियम बनाता है:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—ये नियम मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज खेल मण्डल के कार्य संचालन नियम, 2010 कहलाएगें.

2. **परिभाषायें.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं:—

(क) ''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज खेल मण्डल से है.

(ख) ''शासन'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

(ग) ''राज्य'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

(घ) ''निधि'' से तात्पर्य मण्डल की समस्त निधियों से है, जिसमें राज्य शासन से प्राप्त सभी अनुदान तथा अन्य किसी भी स्त्रोत से अनुदान, फीस अथवा अन्य खर्चो के रूप में प्राप्त सभी रकमें शामिल होगी.

3. **मण्डल के निम्नलिखित लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य होंगे:—**

(क) सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहित, विकसित तथा नियंत्रित करना एवं राज्य स्तरीय तथा अखिल भारतीय टूर्नामेंट, खेलकूद प्रतियोगितायें, प्रदर्शन मैच तथा परीक्षण, स्पर्धायें आयोजित करने हेतु धनराशि देना.

(ख) समय-समय पर मण्डल द्वारा निश्चित किये अनुसार विभिन्न अखिल भारतीय टूर्नामेन्टों तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य की टीमों का चयन एवं अभ्यास कैम्प का आयोजन करना तथा इसके लिए नियमानुसार धनराशि देना.

(ग) राज्य की सिविल सेवा की टीमों के लिए अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के उद्देश्य से चयन एवं अभ्यास आदि के लिए खेल सामग्री एवं किट उपलब्ध कराना.

(घ) राज्य की टीमों के विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीम के मैनेजरों तथा टीमों के चयन एवं अभ्यास कैम्प हेतु नियुक्त चयन/अभ्यास कैम्प प्रभारी के नाम आवश्यक स्वीकृत धनराशि अग्रिम के रूप में दी जाएगी जिसका पूर्ण लेखा संबंधित प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद प्राप्त होने पर शेष राशि वापिस मण्डल के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

(ङ) अभ्यास, आयोजन तथा किट और उपकरणों की खरीदी के लिये समितियों/क्लबों को समतुल्य अंशदान देना.

(च) साहसिक खेलों का आयोजन करना तथा उसमें शासकीय कर्मचारियों को भाग लेने हेतु आमंत्रित करना एवं इसके लिए आयोजनकर्ता एवं भाग लेने वाले शासकीय कर्मचारियों को आवश्यक धनराशि देना.

4. **मण्डल की शक्तियां.**—(क) मण्डल अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा कार्य के लिए अपनी निधि में से राशि स्वीकृत करेगा.

(ख) मण्डल के पदेन अध्यक्ष 2.00 लाख रुपये (दो लाख रुपये) या उससे अधिक की स्वीकृति दे सकेंगे तथा पदेन सचिव 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये) तक स्वीकृति दे सकेंगे.

(ग) मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि को मण्डल की बैठक में मण्डल के अनुमोदनार्थ रखेंगें.

5. **मण्डल निधि.**—(क) मण्डल की सभी राशियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वल्लभ भवन शाखा में चैक सुविधा सहित सेविंग बैंक खाता खोल कर रखी जाएगी.

(ख) मण्डल के पदेन अध्यक्ष एवं पदेन सचिव को नियमानुसार स्वीकृत की गई राशि को खेल मण्डल के खाते से चैक द्वारा निकाल कर भुगतान करने का अधिकार होगा.

(ग) पच्चीस हजार रुपये तक की राशि के चैक पर पदेन सचिव के तथा उससे अधिक की राशि के चैक पर पदेन अध्यक्ष एवं पदेन सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे.

6. **लेखा परीक्षण.**—मण्डल के आय-व्यय का लेखा परीक्षण हर वर्ष चार्टेड एकाउन्टेंट अथवा संचालनालय, स्थानीय निधि लेखा मध्यप्रदेश से कराया जायेगा.

7. **नियमों में संशोधन.**—आवश्यक होने पर इन नियमों में मण्डल के दो तिहाई सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त कर संशोधन कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. तिवारी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.